सचिन पायलट ने दौसा के भांडारेज में सरपंच मिट्ठूराम सैनी की मूर्ति का अनावरण किया तथा कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया।

'राहुल गांधी की आतंकवादी से तुलना गलत, ऐसे बयान देने वाले माफी मांगे'

सचिन पायलट ने यह भी कहा, जब वसुंधरा राजे सी.एम. थीं तब एक दिन भी उन्हें चैन से सोने नहीं दिया, पर कभी गलत भाषा नहीं बोली

- **कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने मंगलवार को दौसा के भांडारेज में पूर्व सरपंच मिट्ठुराम सैनी की प्रतिमा का अनावरण किया तथा उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना के शिंदे गुट के एक विधायक ने भी राहुल गांधी को धमकी दी है, ऐसी बाते पहले कभी नहीं देखी।**
- **कार्यक्रम में दौसा के सांसद मुरालीलाल मीणा, थानागाजी के विधायक कांतिलाल मीणा, किशनपोल के विधायक अमीन कागज़ी व कई पूर्व विधायक नेता आदि मौजूद थे।**

दौसा, 17 सितम्बर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मंगलवार को दौसा जिले के भांडारेज में पूर्व सरंपच मिट्ठूराम सैनी की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, राजेश पायलट जब दौसा से चुनाव लड़ते थे, तब मैं पांच साल का था। उस वक्त से ही हमारे परिवार को दौसा के लोगों से गहरा लगाव है। हमें यहां के लोगों ने जो प्यार समर्थन दिया उसका अहसान मैं कभी अपने इस जीवन में तो नहीं उतार सकता।

इस अवसर पर पायलट ने कहा, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थीं, तब हमने विरोध किया। मैंने एक दिन उनको चैन से सोने नहीं दिया। लेकिन कभी ऐसी(गलत) भाषा का प्रयोग नहीं किया। वो महिला हैं और उम्र में बड़ी हैं। हमने उनके प्रशासन, सरकार, नीतियों, गवरनैंस, भ्रष्टाचार का पुरजोर विरोध किया और आज भी विरोध करते हैं। लेकिन भाषा की शालीनता के साथ। ज़ुबान पर लगाम नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या उदाहरण दे रहे हैं। हम बच्चों से अच्छी पढ़ाई, पाठ पूजा की बात कहते हैं, लेकिन, जब हम मंच पर भाषण देते हैं तो अनाप- शनाप बोलते हैं। इसलिए इस प्रकार की बातों की कोई जगह सभ्य समाज में नहीं हो सकती।

पायलट ने दौसा की जनता से कहा, अभी मुझे एआइसीसी का महासचिव व छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना रखा है। लगातार दौरे करते रहता हूं। लेकिन वर्षों पुराने सम्बंधों को कोई तोड़ नहीं सकता। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हमेशा पार्टी का झंडा बुलंद रखा है।

पायलट ने कहा कि आज का कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, लेकिन कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी का हो, उनको अधिकार नहीं है, समाज, प्रदेश व देश में ऐसी बातें बोलने का, जिनका संकेत गलत जाता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में क्या-क्या बातें बोली जा रही हैं। केन्द्र सरकार के एक मंत्री, जो हमारी पार्टी में थे, उनके दादा कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कितनी ओछी बात बोली और आंतकवादी से तुलना कर दी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के गरीबों के हक की आवाज संसद में बुलंदी से उठाते हैं। ऐसे बयान देने वालों को माफी मांगनी चाहिए, साथ ही केन्द्र सरकार व भाजपा को भी माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक शिवसेना के विधायक ने धमकी दी है, जान से मारने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति पहले कभी देखी नहीं। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो दूसरे के बारे में बुरा बोलने का भी अधिकार किसी को नहीं है। पायलट ने आगे कहा, आने वाले दिनों में प्रदेश में कई जगह उपचुनाव होंगे और दौसा में भी उपचुनाव होंगे। जनता ने रिकॉर्ड वोटों से मुरारीलाल मीणा को जिताकर लोकसभा भेजा है, वो आपके लिए काम करेंगे।

कार्यक्रम में सांसद मुरारीलाल मीणा, थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा, किशनपोल विधायक अमीन कागजी, पूर्व मंत्री ममता भूपेश सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे।

'महिलाओं को रात में काम करने से मना नहीं किया जा सकता'

नयी दिल्ली, 17 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि, किसी भी कामकाजी महिला को यह नहीं कहा जा सकता कि वह रात में काम नहीं करे। मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति जे बी पार्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कोलकाता में नौ अगस्त को एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मुकदमे में स्वत: संज्ञान सुनवाई के दौरान सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार की एक अधिसूचना के बारे में बताए जाने के बाद यह टिप्पणी की। अधिसूचना में कहा गया है कि महिला डॉक्टरों की रात की ड्यूटी से बचा जा सकता है।

पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस अधिसूचना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्य सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए और महिला डॉक्टरों को उनके पुरुष समकक्षों के बराबर काम करने देना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? महिलाएं रियायतें नहीं, बल्कि समान अवसर चाहती हैं... महिला डॉक्टर हर परिस्थिति में काम करने को तैयार हैं। राज्य को इसे ठीक करना होगा। आप यह नहीं कह सकते कि महिला डॉक्टर 12 घंटे से अधिक शिफ्ट में काम नहीं कर सकतीं और रात में नहीं...सशस्त्र बल आदि सभी रात में काम करते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं।

'ए.सी.बी. ने बिना किसी कारण फंसाया है'

हैरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर ए.सी.बी. की एफ.आई.आर. रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंची

- **मुनेश गुर्जर ने याचिका में राज्य सरकार एवं शिकायतकर्ता सुधांशु सिंह को पक्षकार बनाया और कहा कि आरोप उनके पति पर लगे हैं, शिकायतकर्ता ने कहीं यह नहीं कहा कि वह मुझसे मिला था।**
- **गौरतलब है कि मेयर मुनेश गुर्जर पर रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने के मामले में ए.सी.बी. ने गत वर्ष 6 अगस्त को एफ.आई.आर दर्ज करवाई थी और मुनेश ने हाईकोर्ट में अपराधिक याचिका दायर कर इस एफ.आई.आर. को चुनौती दी है।**

जयपुर, 17 सितंबर। हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर ने रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) की ओर से गत वर्ष 6 अगस्त को दर्ज एफ.आई.आर. को हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दायर कर चुनौती दी है। याचिका में राज्य सरकार और मामले के शिकायतकर्ता सुधांशु सिंह को पक्षकार बनाकर गुहार की गई है कि ए.सी.बी. की इस एफ.आई.आर. को रद्द किया जाए। अदालत मामले में आगामी दिनों में सुनवाई करेगी।

याचिका में अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि इस मामले में ए.सी.बी. याचिकाकर्ता से कोई भी डिमांड साबित करने में विफल रही है। ए.सी.बी. ने यह नहीं बताया है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से कैसे डिमांड की और ए.सी.बी. ने उसका सत्यापन कैसे किया। इसके अलावा याचिकाकर्ता से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। वहीं, मामले में दर्ज एफ.आई.आर. में याचिकाकर्ता की भूमिका होने के संबंध में कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे में ए.सी.बी. की एफ.आई.आर. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जरूरी शर्तों डिमांड व रिकवरी को ही सत्यापित नहीं करती है। इस संबंध में पूर्व में भी उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पाए थे, यदि साक्ष्य होते तो उसके खिलाफ उसी समय कार्रवाई हो जाती। याचिकाकर्ता को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। याचिकाकर्ता का मामले से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर संबंध नहीं है। यह एफ.आई.आर. उसके खिलाफ दुर्भावना के चलते दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने केवल उसके पति पर ही आरोप लगाए हैं और शिकायतकर्ता ने यह कहीं पर भी नहीं कहा है कि वह उससे मिला था और याचिकाकर्ता ने उससे किसी तरह की डिमांड की थी। ऐसे में ए.सी.बी. ने याचिकाकर्ता को बिना किसी कारण ही फंसाया है। इसलिए इस एफ.आई.आर. को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि ए.सी.बी. ने मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को नगर निगम से पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने मुनेश को निलंबित कर दिया था। इस निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। वहीं बाद में, सरकार ने निलंबन आदेश वापस ले लिया था। राज्य सरकार ने जांच के बाद मुनेश को पुन: निलंबित किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने दिसंबर, 2023 में निलंबन को रद्द कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सम्पत्ति पर बुलडोज़र चलाने पर रोक

न्यायालय ने स्पष्ट किया, सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण के मामले में यह रोक लागू नहीं होगी

- **सर्वाच्च न्यायालय ने कहा कि अपराधिक मामले के आरोपी की अचल सम्पत्ति गिराना संविधान की भावना के विरुद्ध है।**

नई दिल्ली, 17 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर कहा कि बिना उसकी अनुमति किसी भी आपराधिक मामले में राज्यों द्वारा आरोपी की संपत्ति को नहीं गिराया जाएगा।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता जमीयत उलमा ए हिंद की याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई (आपराधिक मामले के आरोपी की अचल संपत्ति गिराना) संविधान की भावना के विरुद्ध है।

पीठ ने दो सितंबर के अपने आदेश के बाद दिए गए बयानों पर भी आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि उसके आदेश के बाद भी ऐसे बयान आए हैं कि बुलडोज़र का इस्तेमाल जारी रहेगा।

शीर्ष अदालत ने कहा, "दो सितंबर के आदेश के बाद भी इस पर जोरदार बहस हुई है। क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए? हम निर्देश तैयार करेंगे।" पीठ ने कहा, "हम स्पष्ट कर दें कि हमारे निर्देश होंगे। उन्हें दिशा-निर्देश कहा जा रहा है। अगली तारीख (एक अक्टूबर) तक अदालत की अनुमति के बिना ध्वस्तीकरण पर रोक होनी चाहिए।"

शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जल निकायों आदि पर कोई अनधिकृत निर्माण होने पर उसका यह आदेश लागू नहीं होगा। पीठ ने कहा, "हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम अनधिकृत निर्माण के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन यह ध्यान रहे कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं हो सकती।" शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक अक्टूबर की तारीख मुकर्रर करते हुए कहा, "अगली तारीख तक, जब तक वैधानिक रूप से अनुमति न हो, तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी।"

संशोधित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2020 में जयपुर ग्रामीण के लिए आवेदन किया था। वहीं उनके मेरिट में आने पर विभाग ने उन्हें 27 मई, 2021 को नियुक्ति दे दी। याचिका में कहा गया कि इस दौरान कुछ प्रश्नों के उत्तरों को गलत जांचने को आधार बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसमें हाईकोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी गठित कर इन विवादित प्रश्नों का पुन: परीक्षण करने के आदेश दिए। कमेटी ने तीन प्रश्नों के जवाबों में संशोधन किया। जिसके चलते 10 जून, 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया। जिसकी संशोधित मेरिट लिस्ट में याचिकाकर्ताओं को स्थान नहीं मिला। ऐसे में राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं को सेवा से अलग करने के आदेश दे दिए।

याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट में विवादित प्रश्नों को चुनौती देने वाली याचिका में याचिकाकर्ताओं को पक्षकार नहीं बनाया गया था। ऐसे में उनकी सेवा समाप्ति से पूर्व याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा पूर्व में प्रथम परिणाम जारी होने के बाद याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने में उनकी ओर से कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया था और उन्हें निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति मिली थी। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि अभ्यर्थियों को सेवा से नहीं हटाया जा सकता और उन्हें मेरिट में सबसे नीचे रखा जाता है। इसलिए याचिकाकर्ता को सेवा से नहीं हटाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को सेवा में बनाए रखने को कहा है।

दिल्ली की तीसरी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहने के उनके पूर्वनिर्णय के बावजूद, यथास्थिति बनाये रखना अतर्कसंगत होता जा रहा था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केजरीवाल की जमानत के साथ लगाई गई शर्तों के चलते, वे निष्प्रभावी हो गए थे, क्योंकि न तो वे अपने कार्यालय में जा सकते थे तथा न वे मुख्यमंत्री की हैसियत से फाइलों पर हस्ताक्षर ही कर सकते थे। इस अनिश्चितता तथा शासन-प्रशासन के ढांचे के अभाव के चलते, केन्द्र को हस्तक्षेप करने का बहाना मिल सकता था, लेकिन दूरगामी सोच से काम लेते हुए, उन्होंने उस सम्भावना को नकार देने की कोशिश की है।

उपराज्यपाल के साथ आप की पहले ही कई भिड़न्त हो चुकी हैं तथा केजरीवाल यह कह चुके हैं कि केन्द्र द्वारा किए गए अनेकानेक बदलावों/संशोधनों के कारण आप सरकार का काम-काज एक प्रकार से प्रतिबन्धित हो गया है। ऐसी सम्भावना है कि उनके त्यागपत्र देने से शहर राष्ट्रपति-शासन से बच जायेगा।

पहली बात, किसी भी पार्टी के राजनैतिक भविष्य को जाँचने-परखने के मामले में मतदाताओं के ट्रैक-रिकार्ड के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बोफोर्स सौदे को लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के भ्रष्टाचार -विरोधी अभियान के फलस्वरुप, राजीव गांधी तथा कांग्रेस की सत्ता चली गई थी, लेकिन इसी प्रकार के भ्रष्टाचार विरोधी कथानक और कहीं तथा सदैव चुनावी जीत का रुप नहीं ले सके। केजरीवाल अब अपनी प्रतिष्ठा को दाँव पर लगाकर, जनता का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी बात, केजरीवाल का यह कदम दिल्ली में आप का प्रभुत्व पुन: स्थापित करने की रणनैतिक गणना का एक हिस्सा हो सकता है। सर्वविदित है कि दिल्ली ही आप की पहचान का केन्द्र है। दिल्ली ही वह नगर है, जहाँ भ्रष्टाचार -विरोधी आंदोलन शुरु हुआ था तथा इसके बाद ही आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी। 2014 में अपनी सीमाओं को महसूस करने के बाद, पार्टी ने 2014 तथा फिर 2022 में, पंजाब में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की थी।

जेडीए की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अश्विनी चौबीसा ने अदालत को बताया कि जेडीए के जोन-5 के खसरा संख्या 39 का खातेदार जेडीए है। इसके बावजूद, कुछ लोगों ने इस जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। पूर्व में भी इस मामले में हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में तत्कालीन जोन उपायुक्त को कहा था कि इस जमीन पर तृतीय पक्षकार के अतिक्रमणों को हटाया जाए, लेकिन जेडीए ने आदेश की पालना नहीं की और इस जमीन पर लगातार अतिक्रमण जारी रहे।

इस संबंध में याचिकाकर्ता ने जेडीए सहित स्थानीय प्रशासन, बिजली व पीएचईडी विभाग सहित पुलिस प्रशासन को कई प्रतिवेदन दिए, लेकिन इसके बावजूद, अतिक्रमण नहीं हटाए गए।

इसलिए जेडीए की इस खातेदारी जमीन से अतिक्रमण हटाए जाएं। वहीं, उन दोषी अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जिनके चलते सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

क्वाड शिखर सम्मेलन के लिये मोदी 21 को अमेरिका जायेंगे

प्र.मंत्री 23 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन को भी सम्बोधित करेंगे

नयी दिल्ली, 17 सिंतबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका, भारत, जापान और आस्ट्रेलिया के चतुष्कोणीय गठबंधन क्वाड के चौथे शिखर-सम्मेलन तथा न्यूयॉर्क में भविष्य पर शिखर-सम्मेलन में भाग लेने के लिए 21 सितंबर को तीन दिवसीय यात्रा पर अमेरिका रवाना होंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, मोदी यात्रा के दौरान, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेज़बानी में विलमिंगटन, डेलावेयर में 21 सितंबर को होने वाले चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को करनी थी लेकिन अमेरिकी पक्ष के अनुरोध के बाद, भारत 2025 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है।

क्वाड शिखर सम्मेलन में, चारों देशों के नेता पिछले एक वर्ष में क्वाड द्वारा हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करेंगे और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के देशों को उनके विकास लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए आने वाले वर्ष के लिए एजेंडा निर्धारित करेंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार 23 सितंबर को प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। शिखर सम्मेलन में बड़ी संख्या में वैश्विक नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।

ममता बनर्जी ने अपने पसंदीदा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आधी जीत है, मैच अभी नहीं जीता गया है, इससे सरकार में कोई बदलाव नहीं होगा।

ममता बनर्जी को हैल्थ विभाग में भी कई पुलिस अफसरों के तबादले करने पड़े, सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स को मनाने के लिए, ताकि वे ड्यूटी पर लौट आएं। जूनियर डॉक्टर एक महिला ट्रैनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक महीने से आंदोलनरत हैं।

जूनियर डॉक्टर्स अब विचार कर रहे हैं कि ड्यूटी पर लौटा जाए या फिर आंदोलन को आगे खींचा जाए क्योंकि अभी भी उनकी कुछ मांगें लम्बित हैं। ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की है। मंगलवार का दिन ममता बनर्जी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा। ममता बनर्जी के तमाम पैंतरों के बाद भी डॉक्टर्स अड़े रहें।

ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा सहानुभूति नहीं मिली जो कि कलकता मर्डर केस की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने जूनयिर डॉक्टर्स के काम पर नहीं लौटने को लेकर सरकार की दलील को स्वीकार कर डॉक्टर्स को काम पर लौटने के स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स ने अभी तक भी आंदोलन वापस नहीं लिया है। वे कई अन्य को भी हटाने की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. की गोपनीय रिपोर्ट पर चिंता जताई और कहा कि केस की जांच संबंधी कई बातें जजों के लिए भी "डिस्टर्बिंग" है। तीन जजों की बैंच ने कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट के कुछ भागों पर पीड़ा जताई।

जूनियर डॉक्टर्स अपने रुख से जरा भी नहीं डिगे और मृतक पीड़िता के लिए न्याय की मांग पर अड़े रहे। वे आरोपियों के ट्रायल की मांग के साथ आंदोलन जारी रखेंगे। अभी तक सरकार ने सिर्फ एक ही आदमी को गिरफ्तार किया है।

खड़गे ने मोदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इतिहास रहा है जिसने भारतीय लोकतंत्र की गरिमा बढ़ाई है।

उन्होंने कहा कि करोड़ों कांग्रेस नेता और पार्टी कार्यकर्ता राहुल की जीभ काटने की विवादास्पद टिप्पणी से नाराज़ हैं क्योंकि इसी नफरत की वजह से महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई थी इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे अपनी पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ सख्त एक्शन लें कि जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ यह बयान दिया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनसे...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है। मोदी के जन्मदिन पर हमें उनके दूरदर्शी संकल्पों और असाधारण परिश्रम से प्रेरणा लेनी चाहिए और वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश तथा राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए समग्र प्रयास करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। पांच वर्षों में निजी क्षेत्र में 6 लाख एवं सरकारी क्षेत्र में 4 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार अवसरों का सृजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लगभग 41 हजार नियुक्तियां प्रदान की हैं, जिनमें से आज 8 हजार 32 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में भर्ती परीक्षाओं में युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। जिन्होंने अन्याय किया, उनके विरूद्ध हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए "स्वच्छ भारत मिशन" के सार्थक परिणाम आए हैं और जनमानस में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है। उन्होंने कहा कि आज "स्वच्छता ही सेवा-2024" अभियान की शुरुआत की गई है। शर्मा ने कहा कि "नमस्ते योजना" के अंतर्गत सफाई कार्य में लगे सफाई मित्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए कार्य किया जा रहा है और उन्हे बीमा-कवरेज भी प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को घर मिले, इस दिशा में केन्द्र एवं राज्य सरकार प्रयासरत हैं। आज 2 हजार 100 करोड़ से अधिक की लागत से 1 लाख 45 हजार लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र एवं 31 हजार लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाए जा रहे हैं।

- **मुख्यमंत्री ने कहा, 5 साल में निजी क्षेत्र में 6 लाख व सरकारी क्षेत्र में 4 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।**

उन्होंने कहा कि योजना से वंचित पात्रों को शामिल करने के लिए हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया। अब "आवास प्लस-2024" के तहत ऐसे परिवारों को आवास मिलेंगे। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को मकान की चाबी एवं स्वीकृति पत्र भी वितरित किए।

शर्मा ने "मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा) वाउचर योजना" का शुभारंभ भी किया। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाएं 1,161 निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों पर नि:शुल्क सोनोग्राफी करा सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान 'वेस्ट टु आर्ट' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चैक भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने 10 हजार 376 करोड़ से अधिक लागत के 1 हजार 527 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें कुसुम कम्पोनेंट-सी योजना के तहत, 5 हजार 254 करोड़ रुपये की लागत से 1,500 मेगावाट क्षमता से अधिक की 608 परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही, 5 हजार 120 करोड़ की लागत के 919 कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास हुए। इस अवसर पर शर्मा ने जैसलमेर के भैसाड़ा गांव में एन.टी.पी.सी. रिन्यूएबल एनर्जी लि. के 160 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण भी किया। साथ ही, इस दौरान एन.टी.पी.सी. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य संयुक्त उपक्रम कंपनी की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए। इस संयुक्त उपक्रम कंपनी के माध्यम से राज्य में 25 हजार मेगावाट की अक्षय उर्जा परियोजनाओं की स्थापना को गति मिलेगी।

कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ व अन्य प्रमुख अधिकारी एवं लाभार्थी मौजूद थे।

नीतीश कुमार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्मित पार्टी जन सूरज पार्टी के प्रशान्त किशोर ने भी कुमार की "अधपकी भूमि सर्वे पहल" पर कटाक्ष किए हैं।

शेष भारत की तरह, कृषि-प्रधान बिहार में भी भूमि एक संवेदनशील मुद्दा है। गुजरात तथा आन्ध्रप्रदेश सरकारों के सर्वे के अनुभव सकारात्मक नहीं रहे हैं। गुजरात सरकार को 2018 में उस समय भूमि-सर्वे का काम रोक देना पड़ा था, जब आपने इस मुद्दे को लेकर बहुत हो-हल्ला किया था। आन्ध्र में, भूमि-सर्वे को लेकर जनता के आक्रोश के कारण, जगन मोहन रेड्डी की वाई.एस.आर. कांग्रेस चुनाव हार गई थी। नए मुख्यमंत्री एन.चन्द्रबाबू नायडू ने, जून में सत्ता सँभालने के बाद, डिजिटल सर्वे कराने के प्रोजेक्ट के निर्णय को तुरन्त ही पलट दिया था। बिहार के पुराने राजनैतिक पर्यवेक्षक प्रियरंजन भारती ने कहा कि भाजपा सहित, गठबन्धन के अन्य घटक दलो के दबाव के कारण, मुख्यमन्त्री कुमार भूमि-सर्वे को रोकने के लिए बाध्य हो जाएंगे।

चुनाव के पूर्व केजरीवाल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं बल्कि आक्रामक भी हैं तथा चूँकि वो एक हार्डकोर लैफ्टिस्ट (वामपंथी) पृष्ठभूमि की हैं, इसलिए इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो भाजपा के साथ हाथ मिलाएंगी।

उनके माता-पिता इतने कट्टर वामपंथी थे कि उन्होंने आतिशी का नाम मारलेना (मार्कसिस्ट-लैनिनिस्ट) रखा तथा काफी बाद में आतिशी ने अपने आपको "आतिशी" नाम दिया। अपने पहले कार्यकाल में वो केवल एक विधायक थीं, लेकिन केजरीवाल के इस कार्यकाल में उन्हें प्रमुख विभाग मिले और अब मुख्यमंत्री का पद।

आंतरिक रुप से भाजपा की चुनावी गणित का आधार यह कैल्कुलेशन था कि दिल्ली में शीघ्र ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा, प्रशासनिक पेचीदगियों के कारण और भाजपा की राह आसान हो जाएगी पर केजरीवाल ने इस्तीफा देकर व नया मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा की "प्लानिंग" पर पानी फेर दिया। अब सारा कंट्रोल केजरीवाल के हाथ में ही रहेगा, तथापि, इस बार पर्दे के पीछे से।

भाजपा की एक चिंता यह भी है कि यदि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस जीत गई तो वो दिल्ली में भी मजबूत हो जाएगी और भाजपा के लिए यह अच्छी खबर नहीं होगी, जिसे बहुत लंबे समय से दिल्ली विधानसभा चुनावों में विजय हासिल नहीं हुई है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908